संख्या-31/2023/I/339506/2023/001-71-4002-099-10-2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

कुलसचिव,
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 27 जून, 2023**

विषय:-अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीनें और साज सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3972/लेखा/अ0बि0वा0चि0वि0/2023, दिनांक-06.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में आय व्ययक के अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक 4210-03-105-78-मा० अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु उपकरणों के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू० 200.00 लाख के सापेक्ष रू० 200.00 लाख की संकलित उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में आय व्ययक के अनुदान संख्या-31 के लेखाशीर्षक 4210-03-105-78-मा० अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ मानक मद-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और सयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू० 200.00 लाख के सापेक्ष संकलित उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए रू० 200.00 लाख (रुपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही व्यय कर लिया जायेगा।
2. धनराशि का आहरण तभी किया जाएगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा कर ली जाये।
3. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी पी0एल0ए0/बैंक /डाकघर आदि में नहीं रखा जायेगा।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-17.03.2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
5. उपकरणों का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 5 भाग-1 उ0प्र0 प्रक्योरमेन्ट मैनुअल एवं उद्योग विभाग द्वारा समय समय पर जारी होने वाले क्रय संबंधी आदेशों में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा।
6. भण्डार क्रय संबंधी नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव विश्वविद्यालय/वित्त अधिकारी/संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।
9. संबंधित उपकरण/संयंत्र की क्रय प्रक्रिया में ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेन्डरिंग प्रणाली से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. क्रय किये जाने वाले उपकरण चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत उपकरणों के क्रय संबंधी विभिन्न शासनादेशों के अनुसार ही उपकरण क्रय किये जाएगें।
11. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा।
12. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित (यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
13. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक /संबंधित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियां न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों का यथासम्भव समावेश किया जाए।
14. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत-सरकार द्वारा समय समय पर इस संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
15. क्रय किये जाने वाले उपकरण संस्थान की विभागवार अति आवश्यकता एवं एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार ही उपकरणों का क्रय सुनिश्चित किया जाएगा।
16. धनराशि को व्यय किये जाने के पूर्व वित्त अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
17. क्रय किये जा रहे उपकरणों के आडिट का उत्तरदायित्व कुलपति विश्वविद्यालय का होगा।
18. उपकरणों को सुसंगत नियमों के तहत गुणवत्ता के साथ पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए युक्ति संगत दरों पर क्रय किया जाय तथा उपकरणों का Specification गुणवत्ता/आवश्यकता/उपयोगिता सुनिश्चित करने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ तथा विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031057800 मा0 अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या व तद्दिनांक: यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय ,उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
9. नोडल अधिकारी/संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-31/2023/I/339506/2023/001-71-4002-099-10-2023दिनांक-27.06.2023 का संलग्नक।

उपकरणों की सूची

Sl.No.	Name of Equipment	Per unit cost	Quantity required	Total Cost
1	Desktop Computer with 12th Gen 17 with 16 GB RAM 1 TB SSD with 64 Bit Original OS with 24 Inch Display with Webcam and Speakers	115,000.00	5	575,000.00
2	Desktop Computer with 12th Gen i7 with 16 GB RAM 1 TB SSD with 64 Bit Windows OS with 20 inch display	100,000.00	12	1,200,000.00
3	Laptop Intel Core i7 or M2 pro /16 GB/512 or 1 TB SSD/NNIDIA GeForce RTX 4050) PHN16-71, 14 inch Display with Original OS	150,000.00	8	1,200,000.00
4	LaserJet Duplex color Printer with Scanner SPDF	100,000,00	6	600,000.00
5	Duplex Laser Monochrome Printers	20,000.00	12	240, 000.00
6	Duplex Laser Copier with Printers SPDF/DADF	500,000.00	3	1,500,000.00
7	Sofa set 5 seats each with premium fabric upholstery with Centre table	100,000.00	5	500,000.00
8	Modular Workstation	60,000.00	30	1,800,000.00
9	Office Chairs	15,000.00	75	1,125,000.00
10	Executive Display Cabinet	100,000.00	3	300,000.00
11	Executive Chair	36,000.00	5	180,000.00
12	20 Seater Conference Table	300,000.00	1	300,000.00
13	10 Seater Conference Table	150,000.00	1	150,000.00
14	Office Steel Almirahs	40,000.00	15	600,000.00
15	Water Cooler with inline RO water Purifier	110,000.00	9	990,000.00
16	Digital Video conferencing Multimedia system with Multimedia Interactive Flat Panel with Windows and Android /Chrome OS AI enabled	5,000,000.00	1	5,000,000.00
17	LED Smart TV 55 inch	85,000.00	4	340,000.00
18	File Compacter High Density Storage 3 bay	800,000.00	3	2,400,000.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	with Mechanized Drive			
19	Filing cabinet 4 shelves Fire resistant	60,000.00	10	600,000.00
20	Glass door Almirah double door	40,000.00	10	400,000.00
Total				**2,00,00,000.00**

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।